

फॉर्म सी
[नियम 12(1) देखें]
नामांकन हेतु आवेदन का फॉर्म

(यह फॉर्मधारक (कों) द्वारा भरा जाएगा और उस कार्यालय के बैंक अधिकारी को प्रमाणपत्रों सहित प्रस्तुत किया जाएगा जहां ये प्रमाणपत्र पंजीकृत हैं)

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

.....
.....

किसान विकास पत्र नियम, 2014 के नियम 12 के प्रावधानों के तहत.

मैं/हम..... निम्नलिखित किसान विकास पत्र प्रमाणपत्रों के धारक, एतद द्वारा नीचे दिए गए व्यक्तियों को नामित करता हूं/ करती हूं/करते हैं, जोकि मेरी/हमारी मृत्यु होने पर प्रमाणपत्र (त्रों) के हकदार होंगे तथा अन्य सभी व्यक्तियों को छोड़कर उसे इस राशि का भुगतान किया जाना है. मैं/हम एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं/ करती हूं/करते हैं कि मैंने/हमने इन प्रमाणपत्रों के संबंध में अब तक कोई नामांकन नहीं किया है.

क्र.सं.	नामांकित/नामांकितों के नाम	पूरा पता	अवयस्क के मामले में नामांकित की जन्म तिथि

2. चूंकि ऊपर क्रम संख्या/ओं..... पर नामांकित अवयस्क है/हैं, मैं/हम नामांकित/नामांकितों के अवयस्क रहने के दौरान मेरी/हमारी मृत्यु होने की दशा में देय राशि को प्राप्त करने के लिए श्री/श्रीमती/कुमारी..... (नाम और पूरा पता) को नियुक्त करता हूं/ करती हूं /करते हैं.

3. निम्नलिखित प्रमाणपत्र संलग्न हैं.

प्रमाणपत्र(त्रों) की क्र.सं.	मूल्यवर्ग	जन्म की तारीख	जारीकर्ता कार्यालय

भवदीय
धारक(कों) के हस्ताक्षर (अथवा यदि निरक्षर हो तो अंगूठे का निशान)

पता

.....
.....

अभिसाक्षी -

1. नाम पता

2. नाम पता

टिप्पणी: धारक के निरक्षर होने के मामले में, वे व्यक्ति अभिसाक्षी होंगे जिनके हस्ताक्षर बैंक को ज्ञात है.

नामांकन स्वीकार करने वाले बैंक अधिकारी का आदेश

तारीख और बैंक का सील मुहर

बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर